REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 9 | JUNE - 2019

अनुसुचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति योजनाओं का समग्र अध्ययन (दुर्ग–भिलाई के विशेष संदर्भ में)

डॉ. जी. डी. एस. बग्गा[1] , ममता ठाकुर[2]
[1]शोधनिर्देशक , विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) चं.चं. शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय धमधा जिला–दुर्ग (छ.ग.)
[2]शोधार्थी , सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) , शासकीय महाविद्यालय दीपका , जिला–कोरबा (छ.ग.)

सारांश –

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। अनेक गंभीर समस्याओं से घिरी जनजातियों का जीवन आज एक बहुत नाजुक अवस्थाओं से होकर गुजर रहा है। साथ ही सदियों से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्गो पर तथाकथित वर्ग तथा जाति व्यवस्था के बीच में पिसती आ रही है। हमेशा से शोषण की कोटि में रहने के कारण आज वह हीनभावनाओं का शिकार हो गयी है। देश की जनसंख्या का विशाल बहुमत आज भी निर्धन और दलित है। इस वर्ग की प्रगति और उत्थान के साथ गहरा संबंध है। पिछले दशकों में इन वर्गो की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के विभिन्न प्रयत्नों के बावजूद स्थिति दयनीय बनी हुई है। अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के संचालन के माध्यम से केन्द्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तीव्र और स्थाई विकास तथा सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन लाने के प्रयास किये जा रहे है। इन वर्गो को विकास एवं उन्नति की दौड़ में अग्रसर होने के लिए आवश्यक है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अपने अधिकारों, कर्त्तव्यों व सरकार द्वारा नित नये किये जा रहे क्रियाकलापों की जानकारी रखे तभी समाज में एकरूपता व समानता निर्धारित किया जा सकता है।

१. शोध क्षेत्र दुर्ग–भिलाई का परिचय

रतनपुर के राजा रत्नदेव कोषालय अधिकारी जगपाल दास के कार्यकुशलता से अत्यंत प्रभावित एवं प्रसन्न थे जिन्हें ईनाम के रूप में दुर्ग नगर की प्राप्ति हुई। यह ऐतिहासिक नगर भारत के नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ का हृदय स्थलीय दुर्ग जिले के नाम से विख्यात है। यह जिला महानदी घाट के दक्षिण पश्चिम तथा शिवनाथ नदी के पूर्व में स्थित है। इस जिले की ढालान उत्तर पूर्व की ओर है, इसी के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की प्रमुख नदियों का प्रवाह भी इसी दिशा में है। दुर्ग जिला भिलाई इस्पात संयंत्र तथा अन्य औद्योगिक इकाईयों के कारण छत्तीसगढ़ का औद्योगिक जिला माना जाता है। दुर्ग एवं भिलाई इस जिले के दो ऐसे प्रमुख शहर है जो अपने लगभग सम्मिलित स्वरूप के कारण टिवनसिटी के नाम से जाने जाते है। इस जिले में ०३ तहसील, ०३ अनुविभाग, ०३ विकासखण्ड, ०३ नगर निगम, ०३ नगर पालिका एवं ०३ ग्राम पंचायत है।

इस जिले की जनसंख्या, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की जनसंख्या स्त्री एवं पुरूष की संख्या के रूप में इस प्रकार है : –

क्रं.	विवरण	कुल जनसंख्या			अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
		महिला	पुरूष	योग	महिला	पुरूष	योग	:	महिला	पुरूष	योग	:
१	दुर्ग नगर की जनसंख्या	१३२१६५	१३६६४०	२३११८२	८६२५	१२४३२	२१०५७	९.१	१९०५२	२३०६१	४२११३	१८.२
२	भिलाई नगर की जनसंख्या	३२२३०९	३०३३९१	६२५७००	२२३१०	२३४००	४५७१०	७.३	१५०४८	१५७८९	३०८३७	४.९२

२. आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग — छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की स्थापना की गई, जिसका कार्य अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग का शैक्षणिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास करना है। यह विभाग अनुसूचित जाति तथा जनजातियों का सर्वांगीण विकास हेतु योजनाएँ निर्मित कर उसे क्रियान्वित करने का कार्य करती है तथा संरक्षक के रूप में प्रहरी की तरह कार्य करना, इस वर्गो को शोषण व उत्पीड़न से बचाना भी है।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अनुसूचित क्षेत्रों की समीक्षा हेतु समिति तथा आयोग का गठन करती है। यह विभाग अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्रों की मॉनीटरिंग भी करती है।

३.शोध क्षेत्र दुर्ग—भिलाई की अनुसूचित जाति एवं जनजाति योजनाओं का विहमग प्रदर्शन:—

अनुसूचित जाति की योजनाएँ	अनुसूचित जनजाति की योजनाएँ	मिश्रित योजनाएँ
अस्वच्छधंधा छात्रवृत्ति योजना	मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना	राज्य छात्रवृत्ति योजना
अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना	आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना	ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
मिनीमाता स्वालंबन योजना	आदिवासी स्वरोजगार योजना	जवाहर उत्कर्ष विद्यार्थी योजना
अस्पृश्यता निवारण योजना	आदिवासी संस्कृति का परिक्षण एंव विकास	छात्र भोजन सहारा योजना
अंत्योदय स्वरोजगार योजना	योजनांतर्गत आदिवासी	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान
महिला समृद्धि योजना	सांस्कृतिक दलों को सहायता	छात्रावास शिष्य वृत्तियाँ
माइक्रो क्रेडिट योजना	शहीद वीर नारायण सिंह	नि:शुल्क गणवेश प्रदाय
रविदास चर्मशिल्प योजना	स्वालंबन योजना	योजना
गुरूघासीदास लोककला महोत्सव	आदिवासी संस्कृति देवगुड़ी	नर्सिंग पाठ्यक्रम में अध्ययन
.गुरूघासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान योजना	निर्माण एवं मरम्मत योजना	सुविधा योजना
	डॉ. भंवर सिंह पोर्ते स्मृति	हॉस्टिटैलिटी एवं होटल
	आदिवासी सेवा सम्मान	मैनेजमेंट योजना
	शहीद वीर नारायण सिंह	.सरस्वती सायकल प्रदाय
	लोककला महोत्सव	योजना
	गुण्डाधूर सम्मान योजना	.आर्यभट्ट विज्ञान—वाणिज्य

अनुसूचित जाति की योजनाएँ	अनुसूचित जनजाति की योजनाएँ	मिश्रित योजनाएँ
	.महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान	शिक्षण प्रोत्साहन योजना .नि:शुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना .आकस्मिकता नियम, अत्याचार अधिनियम एवं राहत राशि योजना .युवा कैरियर निर्माण योजना .लघु व्यवसाय योजना .स्मॉल बिजनेस योजना .जीप टेक्सी योजना .ऑटो पैसेन्जर योजना . गुड्स कैरियर योजना

४. योजनाओं का मुख्य आकर्षण एवं उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन

आज प्रत्येक राष्ट्र चाहे वह विकसित हो या अर्द्ध विकसित हो, अपना आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास अर्थात् समग्र विकास चाहता है। वह अपनी वर्तमान स्थिति को त्यागकर इससे बेहतर स्थिति प्राप्त करना चाहता है। उनके सम्मुख योजना ही एक मात्र ऐसा उपाय है जिसके सहारे वह अपना समस्त विकास कर सकता है। योजना एक ऐसी सोची समझी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से निर्धारित अवधि में सुनिश्चित एवं स्पष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आर्थिक शक्तियों का विवेकपूर्ण नियंत्रण एंव समन्वय किया जा सकता है। योजना के अंतर्गत उपलब्ध साधनों का इस प्रकार आबंटन किया जाता है कि सीमित साधनों में अधिकतम एवं श्रेष्ठतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

इस शोध में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गो के विकास के लिए शासन द्वारा निर्मित विभिन्न योजनाएँ तथा उनके क्रियान्वन प्रक्रिया का शोध अध्ययन किया गया है। योजनाओं को उनकी प्रकृति के अनुसार तीन वर्गो में विभाजित कर दिया गया है जो इस प्रकार है :—

४.१ शैक्षणिक विकास की योजनाएँ

४.२ सामाजार्थिक विकास योजनाएँ

४.२ लोककला, साहित्य व अन्य विकास योजनाएँ

४.१ शैक्षणिक विकास की मुख्य योजनाओं का विश्लेषण

छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक विकास के लिए अनेक प्रकार की योजनाएँ निर्मित की है जिससे इन वर्गो का शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास हो सके और वे आत्मनिर्भर होकर समाज में अपनी महता कायम रख सके। शासन द्वारा इस क्षेत्र में निर्मित योजनाएँ निम्नलिखित है :—

४.१.१ अस्वच्छधंधा छात्रवृत्ति योजना

अस्वच्छधंधा छात्रवृत्ति योजना एक ऐसी छात्रवृत्ति है जिससे अनुसूचित जाति वर्ग के अस्वच्छधंधा कार्यो में लगे परिवार के बच्चें को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। अस्वच्छंधंधा का आशय ऐसे कार्य में लगे परिवार से लिया जाता है जो मैल ढोने, नालियाँ साफ करने, मरे हुए जानवरों के चमड़े निकालने, चमड़े से वस्तु बनाने तथा शुष्क कार्य में संलग्न है।

सारणी क्रमांक ४.१.१

क्रं.	वर्षो की संख्या	प्राप्त आबंटन राशि	व्यय राशि	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत
१	२०१४—१५	२३,००,०००	२३,००,०००	२६५	१००
२	२०१५—१६	ऑनलाइन	ऑनलाइन	२५२	१००
३	२०१६—१७	ऑनलाइन	ऑनलाइन	२६८	१००
४	२०१७—१८	ऑनलाइन	ऑनलाइन	२७८	१००

आरेख क्रमांक—१

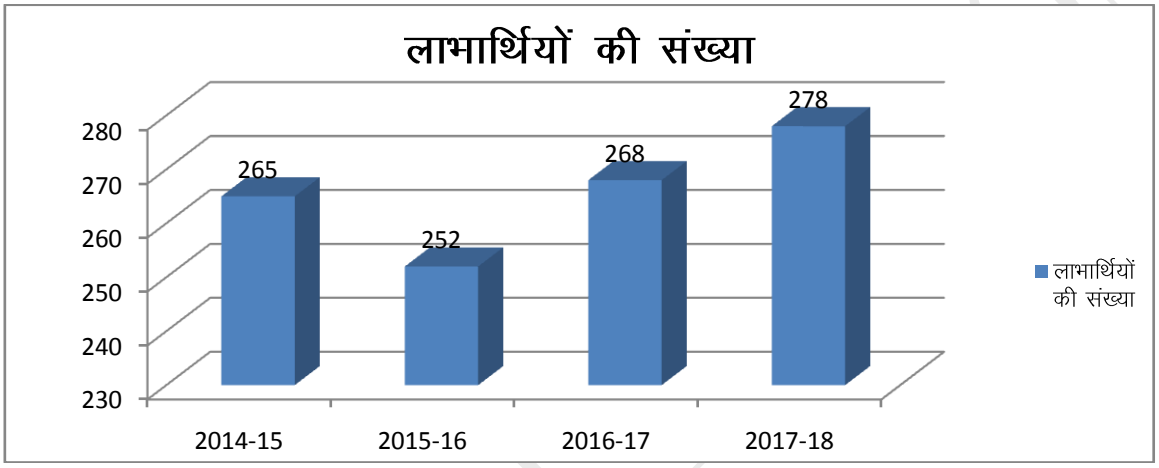

उपयुक्त सारणी क्रमांक ४.१.१ को देखने से यह निष्कर्ष सामने आता है कि अस्वच्छधंधा छात्रवृत्ति योजना की पिछले चार वर्षो का समंक तालिका यह स्पष्ट करती है कि वर्ष प्रतिवर्ष लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है और योजना अपने १०० प्रतिशत लक्ष्य को पूर्ण कर रही हैं सत्र २०१५—१६ से शासन की आबंटन राशि तथा व्यय राशि पूर्णतय: Online प्रक्रिया से जुड गयी है। इस योजना के तहत अब छात्र—छात्रओं को सीधे उसके बैंक खातों में राशि जमा करायी जाती है।

४.१.२ छात्र भोजन सहाय योजना

छात्र भोजन सहाय योजना का प्रारंभ सत्र २००५—०६ में किया गया। यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है यह योजना पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रत्येक छात्रों को छात्रावासी दर से छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाती है इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रावासों में निवासरत् अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गो के विद्यार्थियों के बढ़ते उम्र के अनुरूप संतुलित, शारीरिक, मानसिक विकास हेतु अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये विशेष पोषण आहार के लिए अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है।

सारणी क्रमांक ४.१.२

क्रं.	वर्ष	अनुसूचित जनजाति				अनुसूचित जाति			
		निर्धारित लक्ष्य		प्राप्त लक्ष्य		निर्धारित लक्ष्य		प्राप्त लक्ष्य	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
१	२०१४—१५	३००	८,१६०००	२११	७,५६,०००	४००	१३,७६,०००	३९७	१३,६३,२००
२	२०१५—१६	३००	११,६०,०००	२२१	९,९४,५००	४००	१७,२०,०००	३७९	१६,८१,५००
३	२०१६—१७	३००	९,६४,०००	२३४	९,६४,०००	४००	१३,१२,०००	४०६	१३,१२,०००
४	२०१७—१८	३००	१२,२५,०००	२५७	१२,०९,०००	४००	१९,३८,०००	४१०	१९,३४,०००

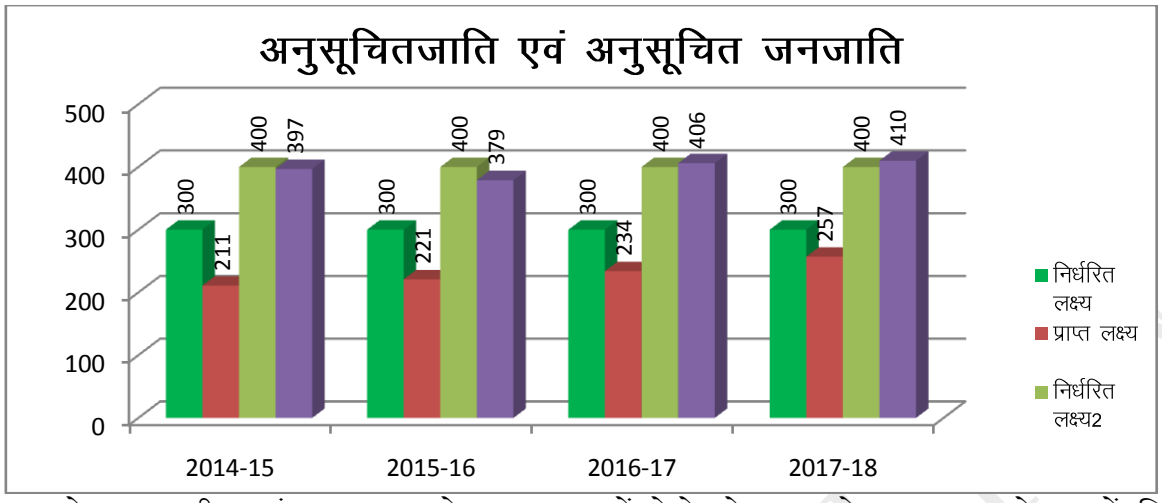

उपरोक्त सारणी क्रमांक ४.१.२ को स्पष्ट रूप में देखे तो छात्र भोजन सहाय योजना में निर्धारित लक्ष्य में भौतिक का आशय लाभार्थी की संख्या से है तथा निर्धारित लक्ष्य में वित्तीय का आशय लाभार्थियों पर शासन द्वारा किये जाने वाले व्यय मूल्य से है उसी तरह प्राप्त लक्ष्य में भौतिक का आशय लाभार्थियों की संख्या से है तथा प्राप्त लक्ष्य में वित्तीय का आशय लाभार्थियों पर किये गये वास्तविक खर्च मूल्य से है समंकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति को दोनों ही पक्ष में भौतिक उपलब्धियॉ वर्ष दर वर्ष वृद्धि हो रही है। वित्तीय व्यवस्था के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उपलब्ध कराई गई सम्पूर्ण राशि व्यय नहीं होती।

४.१.३ जवाहर उत्कर्ष विद्यार्थी योजना

जवाहर उत्कर्ष विद्यार्थी योजना को आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति जवाहर उत्कर्ष विद्यार्थी योजना भी कहते हें। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूलों एवं समकक्ष संस्थाओं में अच्छी शिक्षा के उद्देश्य से चयनित कर प्रवेश दिलाती है ताकि इन वर्गो के मेघावी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा से वंचित न रह पायें।

सारणी क्रमांक ४.१.३

क्रं.	वर्ष	अनुसूचित जनजाति				अनुसूचित जाति			
		निर्धारित लक्ष्य		प्राप्त लक्ष्य		निर्धारित लक्ष्य		प्राप्त लक्ष्य	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
१	२०१४—१५	१५०	२१,९९,२००	१४४	१५३३८००	५०	१७८६०००	४५	१५०००००
२	२०१५—१६	१५०	१२,५३,०००	१२३	१११११०००	५०	१३३५०००	३८	१३१७०००
३	२०१६—१७	१५०	१२,११,०००	९०	१२०००००	५०	१४४५०००	२५	११४५०००
४	२०१७—१८	१५०	१५,६०,०००	७१	१३७०४००	५०	१५५९०००	१९	१२१५०००

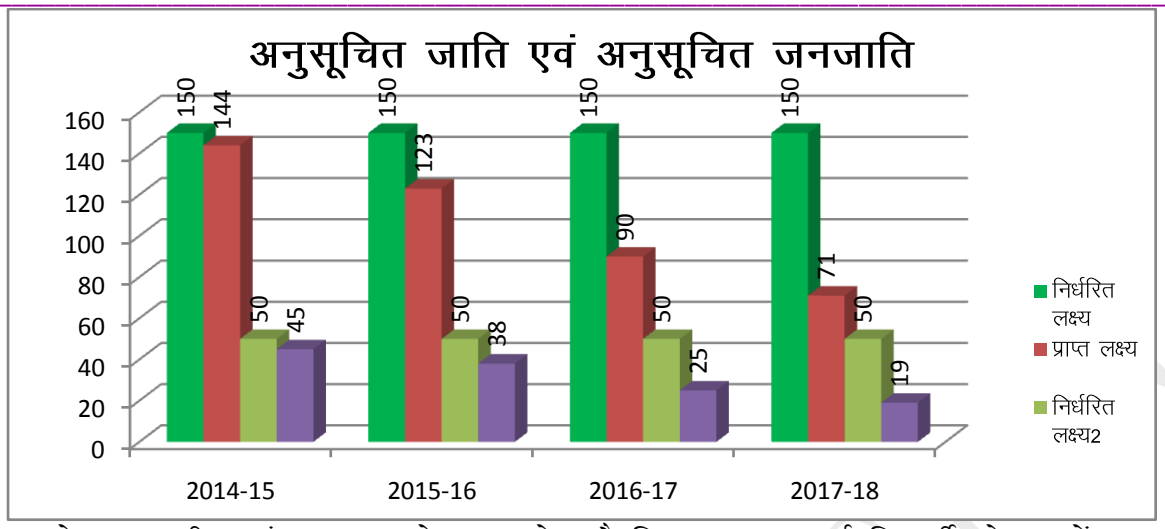

उपरोक्त सारणी क्रमांक ४.१.३ से स्पष्ट होता है कि जवाहर उत्कर्ष विद्यार्थी योजना में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को इस योजना के तहत सत्र् २०१४—१५ से सत्र् २०१७—१८ तक प्रत्येक सत्र् में १५० विद्यार्थियों को लाभांवित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया किन्तु सत्र् २०१४—१५ में १४४ तथा बाद के वर्षो में क्रमश: १२३, ९० तथा ७१ विद्यार्थियों को ही लाभांवित किया गया। इसी तरह अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को इस योजना के तहत सत्र् २०१४—१५ से सत्र् २०१७—१८ तक प्रत्येक सत्र् में ५० विद्यार्थियों को लाभांवित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया किन्तु सत्र् २०१४—१५ में ४५ तथा बाद के वर्षो में क्रमश: ३८, २५ तथा १९ विद्यार्थियों को ही लाभांवित किया गया।

४.२. सामाजार्थिक विकास योजना

वे योजनाएँ जो सामाजिक एवं आर्थिक उद्येश्य की प्राप्ति के लिए निर्मित की गई है उसे सामाजार्थिक विकास योजनाएँ कहलाती है। इन सामाजार्थिक विकास योजनाएँ में निम्नाकित को शामिल किया जा सकता है:—

४.२.१ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना

अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति में अस्पृश्यता निवारण को समाप्त करने, ऊँच—नीच, जाति प्रथा तथा छूआछूत की भावना को समाप्त करने के उद्देश्य से सवर्गो में विवाह करने पर शासन द्वारा दिया गया प्रोत्साहन राशि से है जिससे समाज में समानता लाया जा सके।

सारणी क्रमांक ४.२.१

क्रं.	वर्ष	प्राप्त आबंटन राशि	व्यय राशि	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत
१	२०१४—१५	१२,००,०००	६००,०००	०३	५०
२	२०१५—१६	१६,००,०००	१०,००,०००	०५	६२.५
३	२०१६—१७	१५,५०,०००	८,००,०००	०४	५१.६
४	२०१७—१८	१७५०,०००	१४,००,०००	०७	८०

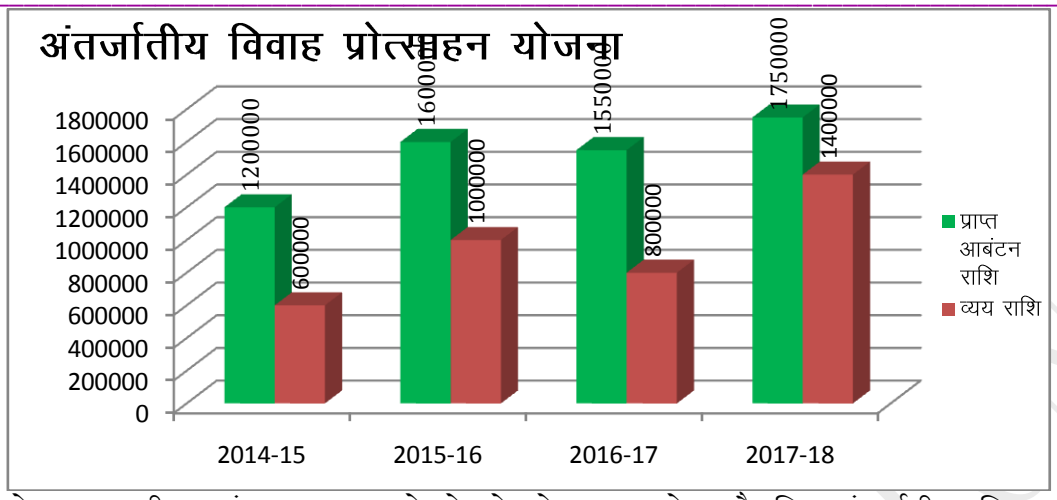

उपरोक्त सारणी क्रमांक ४.२.१ को देखने से स्पष्ट होता है कि अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में प्राप्त आबंटन राशि का अर्थ शासन द्वारा लाभार्थियों पर किये जाने वाले प्रस्तावित राशि से है तथा व्यय राशि का अर्थ लाभार्थियों पर वास्तव में किये गये व्यय या खर्च राशि से लिया गया है यह राशि वास्तव में हमारा लक्ष्य प्राप्ति मूल्य से है। समंकों की पिछले चार वर्षो का क्रम देखे तो यह क्रम वर्षोत्तर वृद्धि करता जा रहा है अत: लाभार्थियों को संख्या देखने से स्पष्ट है कि लोगों में अंतर्जातीय विवाह के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है।

४.२.२ मिनीमाता स्वालंबन योजना

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से प्राप्त राशि, जिसमें अनुसूचित जाति की महिला वर्ग को स्वावलंबी बनाने हेतु किया गया शासकीय प्रयास है जो अंत्यावसायी विकास विभाग द्वारा संचालित किया गया है। इस योजना के द्वारा महिलाएँ अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर सकते है। इस योजना का प्रारंभ वर्ष २००६—०७ से हुआ है।

सारणी क्रमांक ४.२.२

क्रं.	वर्ष	निर्धारित लक्ष्य		उपलब्धि प्राप्त लक्ष्य		लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
.१	२०१४—१५	३	६००,०००	३	६००,०००	१००
२	२०१५—१६	४	८००,०००	२	४००,०००	५०
३	२०१६—१७	३	६००,०००	१	२००,०००	३३.३३
४	२०१७—१८	३	६००,०००	१	२००,०००	३३.३३

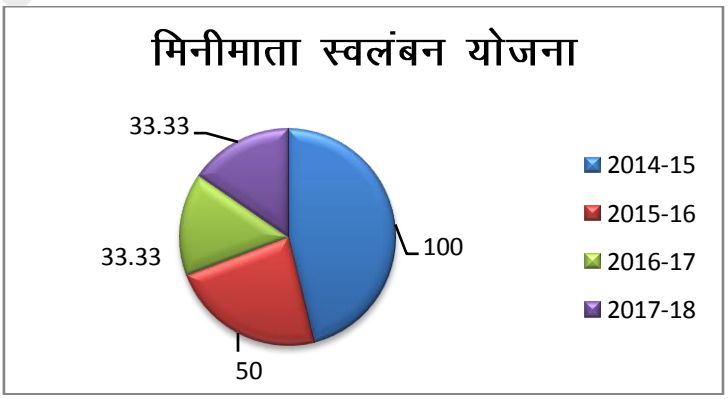

उपरोक्त सारणी क्रमांक ४.२.२ को देखने से स्पष्ट होता है कि मिनीमाता स्वावलंबन योजना में भौतिक निर्धारित लक्ष्य का आशय प्रत्याशी/लाभार्थी की संख्या से लिया गया है तथा निर्धारित लक्ष्य वित्तीय का आशय लाभार्थियों पर शासन द्वारा किये जाने वाले उपलब्ध राशि व मूल्य से है उसी प्रकार भौतिक उपलब्धि प्राप्त लक्ष्य का आशय लाभार्थी की संख्या तथा प्राप्त लक्ष्य वित्तीय का अर्थ लाभार्थियों पर किये गये वास्तविक खर्च मूल्य से है इस प्रकार यदि हम पिछले चार वर्षो के समंकों को देखते है, तो सत्र २०१४–१५ से जहाँ १०० फीसदी लक्ष्य प्राप्त किया गया था वहीं वास्तव में बाद के वर्षो में इसमें उत्तरोत्तर कमी आई है।

४.२.३ लघु व्यवसाय योजना

लघु व्यवसाय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को लघु कुटीर उद्योगों के माध्यम से आत्म निर्भर बनाना है जिससे व्यावसायिक जगत में यह वर्ग अपनी भूमिका बना सकें।

सारणी क्रमांक ४.२.३.

क्रं.	वर्ष	अनुसूचित जनजाति				अनुसूचित जाति			
		निर्धारत लक्ष्य		प्राप्त लक्ष्य		निर्धारत लक्ष्य		प्राप्त लक्ष्य	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
१	२०१४–१५	०५	१०,०००००	०३	६००,०००	०५	१०,०००००	०२	४००,०००
२	२०१५–१६	०४	८००,०००	०१	२००,०००	०४	८००,०००	०२	४००,०००
३	२०१६–१७	०५	१०,०००००	०२	४००,०००	०५	१०,०००००	०३	६००,०००
४	२०१७–१८	०५	१०,०००००	०३	६००,०००	०५	१०,०००००	०४	८००,०००

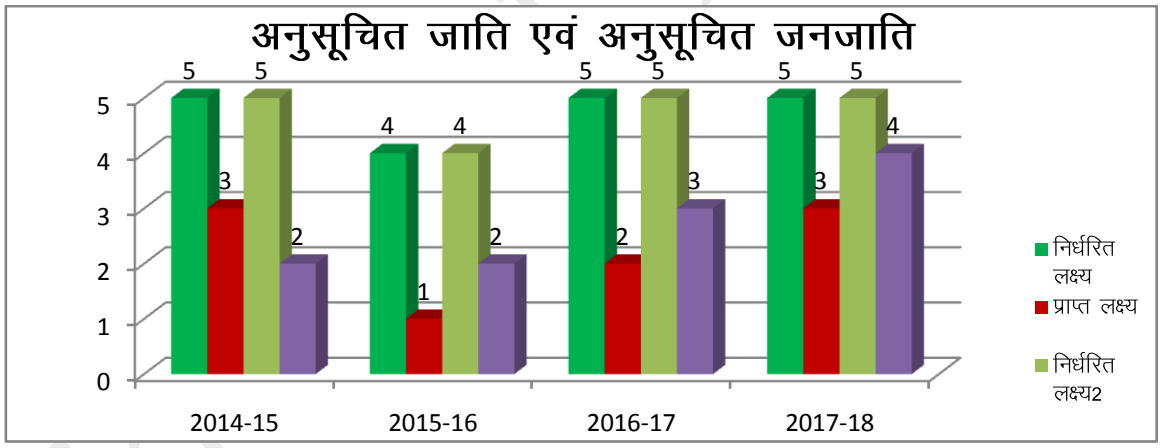

उपरोक्त सारणी क्रमांक ४.२.३ से स्पष्ट होता है कि लघु व्यवसाय योजना में इस सारणी में अनुसूचित जनजाति वर्ग में सत्र २०१४–१५ तथा सत्र २०१७–१८ में लाभार्थी की संख्या अधिक है तथा वहीं अनुसूचित जाति वर्ग में सत्र २०१७–१८ में लाभार्थी की संख्या अधिक है। अत: इन वर्गो में लघु व्यवसाय योजना के प्रति जागरूकता दिखाई देती है।

४.३ लोककला, सांस्कृतिक साहित्यिक विकास योजना

छत्तीसगढ़ शासन के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्गो में लोककला, सांस्कृति तथा साहित्यिक विकास के लिए विभिन्न योजनाएँ संचालित की जाती है, जो निम्नलिखित है –

४.३.१ गुरूघासीदास लोककला महोत्सव

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदाय की जाने वाली यह प्रोत्साहन राशि छत्तीसगढ़ के महान संता गुरूघासीदास की स्मृति में सम्मान स्वरूप प्रदान की जाती है यह प्रतिवर्ष १८ से ३१ दिसम्बर के मध्य संपन्न किया जाता है इस योजना का प्रारंभ सत्र २००७—०८ से किया जा रहा है। यह आयोजन अनुसूचित जाति वर्ग में सामाजिक जागृति व उत्थान एवं लोककला में उत्कृष्ठ कार्य पर प्रदान किया गया सम्मान है।

सारणी क्रमांक ४.३.१

क्रं.	वर्षो की संख्या	प्राप्त आबंटन राशि	व्यय राशि	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत
१	सत्र २०१४—१५	६,००,०००	—	—	—
२	सत्र २०१५—१६	६,००,०००	६,००,०००	०३	१००
३	सत्र २०१६—१७	६,००,०००	२,००,०००	०१	३३.३३
४	सत्र २०१७—१८	६००,०००	४००,०००	०२	६६.६७

स्त्रोत :— *आदिम जाति व अनुसूचित जाति विकास विभाग दुर्ग*

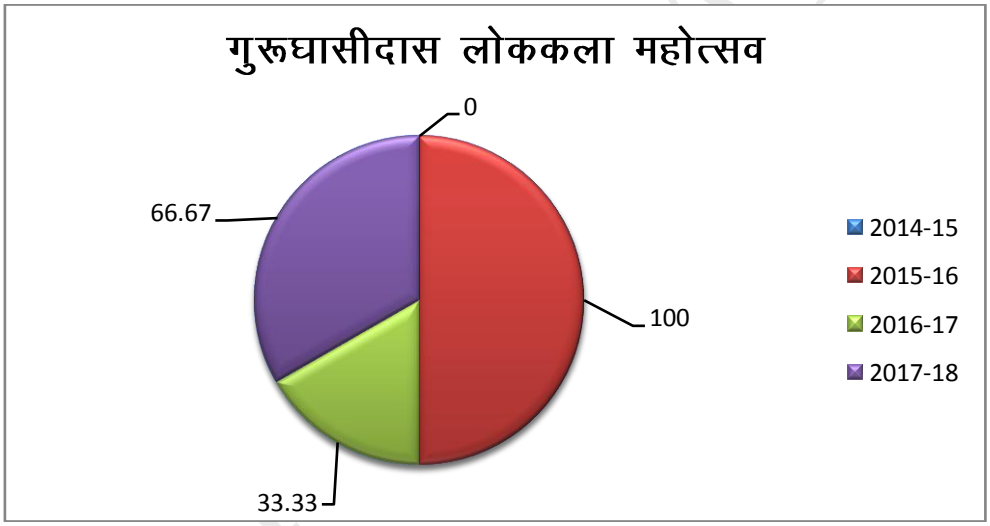

उपरोक्त सारणी क्रमांक ४.३.१ से स्पष्ट होता है कि गुरूघासीदास लोककला महोत्सव में शासन द्वारा प्रोत्साहन राशि पर आदिम जाति व अनुसूचित जाति विकास विभाग के सास्कृतिक विभाग द्वारा सम्मानित किया गया है जिसमें सत्र् २०१४—१५ में सम्मान अप्राप्त रहा। सत्र् २०१५—१६ में ०३ , सत्र् २०१६—१७ में ०१ तथा सत्र् २०१७—१८ में ०२ लाभार्थियों को सम्मानित किया गया।

४.३.२ शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान

शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति वर्ग में समाज में चेतना जागृत करने वाले व्यक्ति तथा उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है यह सम्मान शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में शासन द्वारा प्रतिवर्ष राज्योत्सव में पुरस्कृत किया जाता है।

सारणी क्रमांक ४.३.२

क्रं.	वर्षो की संख्या	प्राप्त आबंटन राशि	व्यय राशि	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत
१	२०१४—१५	६,००,०००	२,००,०००	०१	३३.३३
२	२०१५—१६	६,००,०००	२,००,०००	०१	३३.३३
३	२०१६—१७	६,००,०००	—	—	—
४	२०१७—१८	६,००,०००	४,००,०००	०२	६६.६७

स्त्रोत :— आदिम जाति व अनुसूचित जाति विकास विभाग दुर्ग।

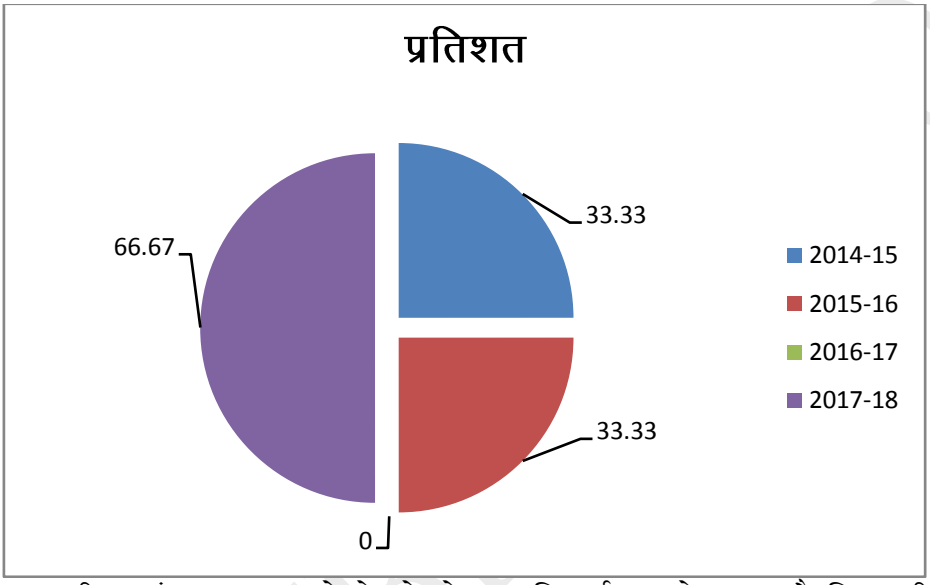

उपरोक्त सारणी क्रमांक ४.३.२ को देखने से यह निष्कर्ष सामने आता है कि शहीद वीर नारायण सिंह योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है है। सत्र् २०१४—१५ में ०१ , सत्र् २०१५—१६ में ०१ तथा सत्र् २०१७—१८ में ०२ लाभार्थियों को सम्मानित किया गया सत्र २०१७—१८ में ६६.६७ लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी परन्तु सत्र २०१६—१७ में यह उद्येश्य पूर्ण नहीं हो सका।

४.३.३ महाराज प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महाराज प्रवीरचंद भंजदेव की स्मृति में तीरंदाजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाने वाला सम्मान है। यह सम्मान अनुसूचित जनजातिय वर्ग को प्रतिवर्ष राज्योत्सव में प्रदान किया जाने वाले सम्मान है।

सारणी क्रमांक ४.३.३

क्रं.	वर्ष	प्राप्त आबंटन राशि	व्यय राशि	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत
१	२०१४—१५	४००,०००	—	—	—
२	२०१५—१६	४००,०००	२००,०००	०१	५०
३	२०१६—१७	६००,०००	४००,०००	०२	६६.६७
४	२०१७—१८	६००,०००	२००,०००	०१	३३.३३

स्त्रोत :— *आदिम जाति व अनुसूचित जाति विकास विभाग दुर्ग*

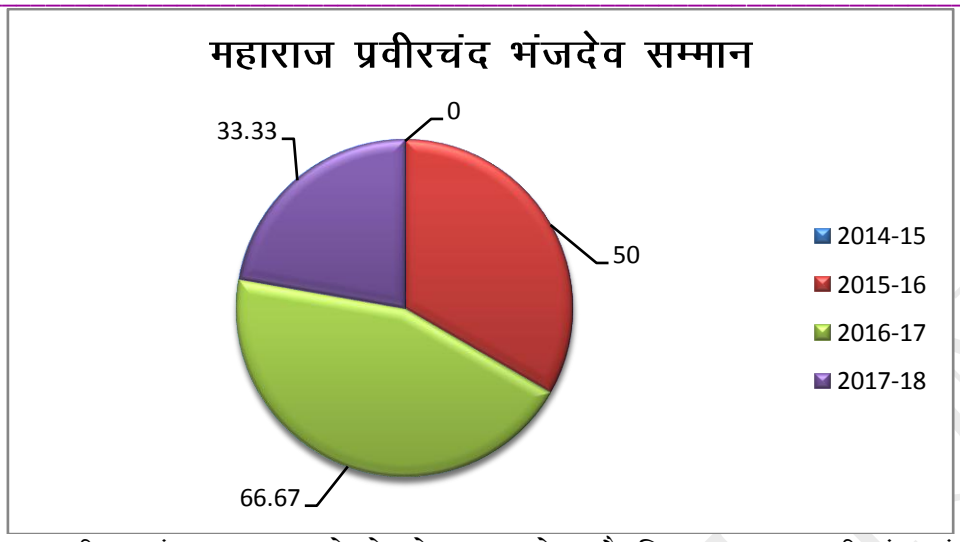

उपरोक्त सारणी क्रमांक ४.३.३ को देखने स्पष्ट होता है कि महाराजा प्रणीरचंद भंजदेव सम्मान प्रतिवर्ष शासन द्वारा प्रदान किया जाता है सत्र २०१६—१७ में यह दर सबसे अधिक था। अत: लाभार्थी इस सम्मान हेतु जागरूक रहते हैं।

५. योजनाओं के सकारात्मक पक्ष

केन्द्र सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास एवं सुविधाओं को प्रदान करने के लिए समय—समय पर नई योजनाओं का निर्माण एवं पुरानी योजनाओं के विलयीकरण से संशोधित योजनाओं का निर्माण किया गया इस योजनाओं के समंकों के विश्लेषण से यह तथ्य उजागर हुआ की योजनाओं के द्वारा जिन लाभार्थियों को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया तथा उन्हें प्राप्त किया गया वे संतोषजनक तो कहे जा सकते है किन्तु आज भी इस क्षेत्र में अधिक एवं वृहद तथा प्रभावपूर्ण योजनाओं की आवश्यकता है। इससे इस क्षेत्र के इस वर्ग के लोगों को विकास के एवं सम्मान प्राप्त करने के अधिकतम एंव उच्चतम अवसर प्रदान किये जा सकते हैं। हर योजनाएँ उचितम लक्ष्य को ध्यान में केन्द्रित करते हुए निर्मित की जाती है किन्तु इस योजनाओं के मार्ग में अनेक समस्याएँ एवं बाधाएँ है जो योजना को पूर्ण सफल बनने में मुख्य बाधक कारक रहते हैं।

६. योजना के नाकारात्मक पक्ष :—

६.१ लाभार्थियों से पर्याप्त मात्रा में संपर्क नहीं:— इन योजनाओं का निर्माण करते समय योजनाओं के भावी लाभार्थियों से पर्याप्तमात्रा में संपर्क नहीं किया जाता जिसके कारण वस्तुस्थिति की जानकारी नहीं मिल पाती।

६.२ निर्माण में अधिक समय:— इन योजनाओं का निर्माण करते समय बहुत अधिक समय लिया जाता है जिसके कारण सही समय पर पात्र व्यक्तियों को लाभ नहीं मिल पाता।

६.३ अपर्याप्त प्रचार—प्रसार:— योजनाओं की मुख्य बातों, शर्तों का प्रर्याप्त प्रचार—प्रसार नहीं हो पाता जिसके कारण अनेक पात्र संबंधित व्यक्ति लाभ से वंचित रह जाते है।

६.४ औपचारिकताएँ अधिक:— शासन की इन योजनाओं से जुड़ने के लिए लाभार्थियों को बहुत अधिक औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है कभी—कभी यह तथ्य भी योजना के आंशिक सफलता का कारण बनता है।

६.५ शासन परिवर्तन का प्रभाव:— अलग—अलग शासन व्यवस्था अलग—अलग आधारों पर अनेकानेक योजनाएँ बनाती है जिसको प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित करने में अधिकारी व कर्मचारी सफल नहीं हो पाते।

६.६ कम शिक्षा:— शासन के अनेकानेक प्रयासों के बावजुद इस वर्ग में तुलनात्मक रूप से शैक्षणिक स्तर अन्य वर्ग की तुलना में कम है जिसके कारण शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में दिक्कतें आती है।
६.७ अपर्याप्त कर्मचारियों की संख्या:— इस वर्ग के कल्याण के लिए शासन द्वारा समय—समय पर अनेकानेक योजनाएँ बनाई जाती है किन्तु इन योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले विभागों में अपर्याप्त संख्या होने के कारण योजनाओं का प्रभावपूर्ण तरिके से क्रियान्वयन नहीं हो पाता।

७. योजना को प्रभावी बनाने के उपाय

१. अनुसूचित जाति व जनजाति की योजना की प्रक्रिया सरल, स्पष्ट एवं समझने योग्य होनी चाहिए।
२. योजना का प्रचार—प्रसार समाचार पत्रों, रेडियों तथा टेलीविजन के द्वारा बार—बार किया जाना चाहिए।
३. अनुसूचित जाति एवं जनजाति की योजनाएँ ऑनलाईन तथा ऑफलाईन दोनों प्रक्रिया में होनी चाहिए।
४. अनुसूचित जाति एवं जनजाति योजनाओं के तहत् जो ऋण राशि उपलब्ध कराई जाती है उसके ब्याज की दर कम होनी चाहिए।
५. अनुसूचित जाति व जनजाति की योजनाओं का प्रचार करने के लिए योजना के लाभार्थियों के निवास स्थल में जाकर प्रचार—प्रसार करना चाहिए ताकि अधिकाधिक संभावित लाभार्थी योजना से जुड़ सके।
६. अनुसूचित जाति व जनजाति की योजना से जुड़ने के लिए औपचारिक कलाओं की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए।
७. अनुसूचित जाति व जनजाति की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शासकीय विभागों में इसी वर्ग के व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए।
८. अनुसूचित जाति व जनजाति की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शासकीय कर्मचारी तथा अधिकारियों में आपसी तालमेल होना चाहिए।

निष्कर्ष

शोध क्षेत्र के शोधात्मक अध्ययन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि दुर्ग एवं भिलाई नगर की जनसंख्या में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों की संख्या प्रभावपूर्ण है किन्तु आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से कमजोर होने के कारण इन वर्गो की सर्वांगीण तीव्रगति से विकास के लिए योजनाओं की नितांत आवश्यकता है। इन योजनाओं को सफल योजना तभी माना जा सकता है जब इनकी स्थापना करते समय योजना से संबंधित संभावित लाभार्थियों की दशा एवं दिशा को ध्यान में रखा जाये तभी हमारा समाज तथा समाज के विभिन्न वर्ग समतुलयता की ओर अग्रसर हो सके है।

संदर्भ सूची

1 http://durg.gon.in (Time 12.51pm Date 05.09.19)
2 "दुर्ग जिले में जनसंख्या वृद्धि एवं शिक्षा और रोजगार पर प्रभाव" २००७ रमेश कुमार (पी. एच.डी.)
3 https://wwww.districtsindia.com (Time 12.55pm Date 06.09.19)
4 Census2011.co.in (Time 6.00pm Date 21.09.19)
5 Census2011.co.in (Time 4.30pm Date 23.09.19)
6 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग छत्तीसगढ़, प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष २०१८—१९.
7 मध्यप्रदेश की जनजातियाँ (समाज एवं व्यवस्था) डॉ. शिवकुमार तिवारी, डॉ. श्रीकमल शर्मा, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी.
8 Censusindia.co.in (Time 11.16pm Date 21.08.19)

डॉ. जी. डी. एस. बग्गा
शोधनिर्देशक , विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) चं.चं. शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय धमधा जिला–दुर्ग (छ.ग.)

ममता ठाकुर
शोधार्थी , सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) , शासकीय महाविद्यालय दीपका , जिला–कोरबा (छ.ग.)

LBP PUBLICATION